प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला- जयपुर, थाना- प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो जयपुर, वर्ष-2022 प्र0इ0रि0 सं. ....18/22.................दिनांक..........22/01/22

2. (I) **अधिनियमः**- धारा 7, 7A भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018

(II) **अधिनियम** .... **धारायें** ....

(III) **अधिनियम** .... **धारायें** ....

(IV) **अन्य अधिनियम एवं धारायें भा0दं0सं0**........120B..............

(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ......535 **समय** ....5:35 PM..

(ब) अपराध घटने का दिन- शुक्रवार, **दिनांक** 21.**01.2022** **समय** 02.35 पीएम.

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ....29.09.2021..............

4. **सूचना की किस्म :- लिखित /मौखिक- लिखित**

5. **घटनास्थलः**- कोरसिना तिराहा, नरायना रोड़, सांभर, जयपुर

(अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः-बजानिब पश्चिम दिशा करीब 85 कि0मी0

(ब) बीट संख्या.........................जयरामदेही सं................

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना ....जिला ......

6. **(i)परिवादी /सूचनाकर्ता :-**

(अ) नाम-श्री हेमराज कुम्हार

(ब) पिता/पति का नाम-श्री श्रवण कुम्हार

(स) जन्म तिथी- उम्र 27 साल

(द) राष्ट्रीयता - भारतीय

(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि

जारी होने की जगह ....

(र) व्यवसाय- प्राईवेट/ठेकेदारी का कार्य

(ल) पता- ग्राम सावरदा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर

7. **ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहितः-**

1. श्री नाहर सिंह पुत्र श्री रामासिंह, उम्र-56 साल, निवासी-गांव-उसैर, तह0-नदबई, जिला भरतपुर हाल निवासी- पीएचसी मुगसका के पास, महाराजा सूरजमल कॉलोनी अलवर हाल किरायेदार मकान पवन कुमावत, चौबदार मौहल्ला सांभर हाल कनिष्ठ तकनीकी सहायक, पंचायत समिति सांभर जयपुर।
2. श्री पीर मौहम्मद पुत्र स्व0 श्री अला नूर खाँ उम्र 53 साल निवासी बरबरा की ढाणी, भरतोलाव ग्राम पंचायत नरायना पुलिस थाना नरायना तहसील फुलेरा जिला जयपुर हाल सरपंच ग्राम पंचायत नरायना जिला जयपुर।
3. श्री विश्वनाथ पारीक पुत्र श्री सीताराम पारीक उम्र 51 साल निवासी मकान नम्बर 209, मिश्र कालोनी, पुलिस थाना फुलेरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम नरायणा, पंचायत समिति सांभर जिला जयपुर।

4. श्री गोरधन लाल कुमावत पुत्र श्री भंवर लाल कुमावत उम्र 57 साल निवासी महावीर कॉलोनी, नरायना रोड़, दूदू पुलिस थाना दूदू जिला जयपुर

5. अन्य

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-.....

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य- कुल 38,000/-रू0 (18000 रू. पूर्व में दिये गये व 20000 रूपये लेन-देन के वक्त)

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित ....हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):-

प्रकरण के हालात इस प्रकार से निवेदन हैं कि दिनांक 29.09.2021 को मन् उप अधीक्षक पुलिस को श्री हिमांशु, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय ने अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर अपने सामने बेठे व्यक्ति हेमराज कुम्हार पुत्र श्री श्रवण कुम्हार से परिचय करवाकर उसके द्वारा पेश हस्तलिखित प्रार्थना पत्र अग्रीम कार्यवाही हेतु मुझे सुपुर्द किया। इस पर मन् उपअधीक्षक ने श्री हेमराज को अपने कार्यालय कक्ष में लेकर आया। उक्त व्यक्ति से उसका नाम-पता पूछने पर उसने अपना नाम हेमराज कुम्हार पुत्र श्री श्रवण कुम्हार उम्र 27 साल निवासी सावरदा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर बताया जिसने अपने हस्तलिखित एक प्रार्थना इस आशय का पेश किया कि '' सेवामें श्रीमान्, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर, विषय रिश्वत लेते हुये पकड़वाने के लिए, महोदय, निवेदन है कि मैने मैसर्स कुमावत एण्ड कम्पनी प्रो0 गोरधन लाल कुमावत निवासी महावीर कोलोनी नरेना रोड दूदू जयपुर से एग्रीकल्चर ट्रैनिंग सेन्टर नरेना दूदू का निर्माण आवंटित कार्य को जरिये ईकरारनामा दिनांक 12.11.2020 से मेरे द्वारा लिया गया था उक्त एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेन्टर का निर्माण कार्य 15.11.2020 को आरम्भ कर दिया गया था। मेरे द्वारा उक्त कार्य की प्रथम रनिंग बील अठारह लाख रूपये का भूगतान प्राप्त कर लिया गया। इसके बाद मेरे द्वार किए गये कार्य का द्वितीय रनिंग बिल बनवाने के लीए M.B. लेने के लिए मै सेकटरी विश्वनाथ के पास गया तो उन्होने बताया की M.B. जेइन से ले लो फिर सेकटरी विश्वनाथ ने कहा की जेईएन आपको M.B. तभी देगा जब आप सबका हिसाब कर दोगे। और सेकटरी विश्वनाथ ने मुझसे (5) पॉच प्रतिशत स्वयं के लिए। पांच प्रतिशत सरपंच के लिए दो प्रतिशत (O.D.T) ओडीट टीम के लिए व एक प्रतिशत B.D.O के लिए रिश्वत मांग करी। फिर मैं M.B. लेने के लिए जेईएन के पास गया तो उसने भी मुझसे रिश्वत मांगी और बताया की एक्सईएन साहब को एक प्रतिशत कमीशन देना होगा। पीछली बार भी तुमने उनका कमीशन नही दिया था। इसलिए एक्सईएन साहब आए तब दोबार का कमिशन एक साथ ही दे देना, फिर जईएन साहब ने स्वयं के लिए तीन प्रतिशत, एईईन साहब के लिए दो प्रतिशत कमीशन की मांग की। फिर मैने जेईएन से M.B. मांगी तो जैईएन ने कहा एक्सईएन साहब आयेगें तब साइट पर ही चेक करके M.B. मिलेगी उससे पहले तूमको हमारा हीसाब करना पडेगा। फीर मे एईन K.K. गुप्ता के पास गया और बील का भूगतान करवाने के लीए कहा तो एईन साहब ने अपने हिस्से का कमीशन मांगा। मैने एईन साहब को बताया की करीब डेढ महीने से बील्डिंग की छत की सेट्रिंग लगी पडी है पलाई, बली, मजदुरी एक्ट्रा खर्चा हो रहा है मेरा काम रूका पडा है जीस पर एईन साहब ने कहा बजरी टेस्टींग करवाने का दबाव डालकर मेरे काम मे देरी करवाकर मुझ पर रिश्वत का दबाव डाल रहे है। इसके कुछ दिन बाद जेटीओ पंचायत सिमीती दूदू ने फोन कीया। जेटीओ सैतान खोजी ने फोन पर मुझे कहा की जेईन साहब नाहर सिंह आपको रकम लेकर बूलाया है। और M.B. साईन करवाने के लीए कहा है। जेटीओ ने यह भी कहा सभी का एईन, सरपंच,

सेकेटरी सभी हिसाब करने की कहकर मुझे पंचायत समिति दूदू बुलाया है। मैं पांच महिने से मेरे दूसरे बिल के भूगतान के लिए चक्कर लगा रहा हूं। परन्तु न तो मुझे M.B. दी जा रही और ना ही मेरा भूगतान किया जा रहा है। मुझसे मेरी फर्म सत साहेब कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा किये गए निर्माण कार्य के भूगतान की एवज में मेरे से सेकेटरी विश्वनाथ, सरपंच पीर मौहम्मद, जेटीओ सैतान खौजी, जेईएन नाहर सिंह, एईन K.K. गुप्ता, B.D.O. ताराचन्द, एक्सईएन साहब रिश्वत की मांग कर रहे है। मैं इनको रिश्वत नही देना चाहता हूं। कार्यवाही करें एसडी, हेमराज, हेमराम कुम्हार पुत्र श्री श्रवण कुमार उम्र 27 साल निवासी सावरदा तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, मो. नं. 9653838520, 9649763751 दिनांक 29.09.2021'' प्रस्तुत की। उक्त प्रार्थना-पत्र के साथ परिवादी ने मैसर्स कुमावत एण्ड कम्पनी प्रो., गोरधन लाल कुमावत निवासी महावीर कॉलोनी नरैना रोड़, दूदू जिला जयपुर व हेमराज पुत्र श्री श्रवण लाल कुम्हार के मध्य का कस्बा नरायना में एग्रीकलचर ट्रेनिंग सेन्टर निर्माण कार्य जिसकी अनुमानित लागत 99 लाख रूपये है का ईकरारनामा की प्रति प्रस्तुत की। मन् उपअधीक्षक को परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे स्वयं द्वारा हस्तलिखित है तथा मेरा सेकेटरी श्री विश्वनाथ पारीक, जेईएन श्री नाहर सिंह, एईएन के के गुप्ता, नरेना सरपंच श्री पीर मौहम्मद, जेटीओ शेतान खोजी, एक्सईएन साहब जिला परिषद जयपुर से किसी भी प्रकार का रूपयो पैसो का लेन-देन बकाया नही है और न ही किसी प्रकार की रंजिश है। परिवादी श्री हेमराज द्वारा मन् उप अधीक्षक पुलिस को एक सीडी पेश करते हुए बताया कि इसमें जेईएन श्री नाहरसिंह, सैकेट्री श्री विश्वनाथ पारीक, जेईएन का असिस्टेंट शैतान खौजी व एईएन श्री के के गुप्ता से की गई संदिग्ध वार्ताओ रिकार्डिंग है। उक्त सीडी कार्यालय कम्पयुटर चलाया जाकर देखा गया एक ऑडियो फाईल व छः विडियो फाईल मौजुद है, जिनको चलाकर सुना गया तो ऑडियो फाईल में परिवादी एवं अन्य व्यक्ति टैलिफोनिक वार्ता है। मुताबिक परिवादी अन्य व्यक्ति जेईएन असिस्टेंट शैतान खोजी है। उक्त वार्ता में शैतान खोजी परिवादी से एमबी साईन कराने की एवज में नाहरसिंह साहब के लिए रिश्वत मांग करना तथा अन्य अधिकारियो द्वारा रिश्वत मांग के सम्बंध वार्ता करना पाया गया। विडियो फाईल 20210525-WA004 में परिवादी व एक अन्य व्यक्ति, जिसे परिवादी ने नाहरसिंह जेईएन होना बताया के मध्य वार्ता रिकार्ड होकर उक्त वार्ता में नाहरसिंह जेईएन द्वारा रिश्वत के लिए दबाव बनाना तथा जेईएन एईएन के लिए एमबी साईन करने की एवज में रिश्वत के रूप में एक पैटी मांग करना जाहिर आया है। विडियो फाईल 20210525-WA005 में परिवादी व एक अन्य व्यक्ति, जिसे परिवादी ने सैकेट्री श्री विश्वनाथ पारीक होना बताया के मध्य वार्ता रिकार्ड होकर उक्त वार्ता में सैकेट्री विश्वनाथ द्वारा एक्सईएन जेईएन, एईएन, सरपंच, सैकेट्री द्वारा ली जाने वाली रिश्वती राशि के प्रतिशत के सम्बंध में तथ्य प्रकट हुए है। विडियो फाईल 20210525-WA0011, 20210525-WA0012, 20210525-WA0014 में परिवादी व एक अन्य व्यक्ति, जिसे परिवादी ने एईएन के के गुप्ता होना बताया के मध्य कार्य के सम्बंध में वार्ता होना प्रकट हुआ है। विडियो फाईल 20210525-WA013 में परिवादी व एक अन्य व्यक्ति, जिसे परिवादी ने नाहर सिंह होना बताया के मध्य वार्ता रिकार्ड है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त एवं प्रस्तुत सीडी के अवलोकन से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाता है। अतः रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। सत्यापन से जैसी सूरत होगी वैसी कार्यवाही की जावेगी। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को ब्यूरो द्वारा करवाई जाने वाली मांग सत्यापन के विषय में अवगत कराया जाकर पूछा गया तो परिवादी ने कहा कि मेरा संदिग्धो से सम्पर्क होने पर आपको सूचित कर दूंगा और मेरे बिल पास करने संबंधी वार्ता करूंगा तथा जो वार्ता होगी उसको रिकार्ड करके रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवा दूंगा। इस पर कार्यालय के श्री प्रदीप कुमार कानि. 245 को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी हेमराज कुम्हार व कानि0 का आपस में परिचय करवाया गया। कानि. श्री प्रदीप कुमार से कार्यालय के मालखाना से विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर व नया मैमोरी कार्ड मंगवाया जाकर उसको खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को

चालू व बन्द करने की प्रक्रिया समझाई गई तथा कानि. प्रदीप कुमार को उक्त वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर मांग सत्यापन बाबत् निर्देश दिये गये। मन् उप अधीक्षक ने कानि0 श्री प्रदीप कुमार को हिदायत दी की जब भी परिवादी कॉल करे तो उनके द्वारा बताये गये निर्धारित स्थान पर पहुंचकर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करे। दिनांक 30.09.2021 परिवादी श्री हेमराज कुम्हार द्वारा कल सुबह समय 8.30 पीएम पर मैं जेईएन श्री नाहर सिंह के दूदू में स्थित किराये के मकान मालपुरा रोड़ पर जाकर जेईएन श्री नाहर सिंह से मिलने की अवगत कराने पर दिनांक 01.10.2021 को श्री प्रदीप कुमार कानि0 245 को वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर साथ में श्री सुभाष कानि0 नं0 592 को रवाना कर परिवादी श्री हेमराज को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध जेईएन श्री नाहर सिंह के भेजकर मांग सत्यापन करवाया गया तो जेईएन ने परिवादी को बताया कि एमबी एईएन गुप्ता जी द्वारा सैकेट्री श्री विश्वनाथ को देने, एक्सन के साईन करवाने की बात कर भूगतान का चैक तो सैकेट्री श्री विश्वनाथ द्वारा बनाने के लिए कहकर उसी को किसी भी प्रकार से पटाने के बारे में कहा है और सरपंच व सेकेट्री का तीन-तीन प्रतिशत कमीशन लेगा और उनको फेवर में ले नही तो वो डिले करेगे, सेकेट्री को थोड़े भोत लाख रूपये तो पहले पकड़ा दे किसी की अप्रोच नही लगाने की राय दे रहा है और स्वयं के लिए बिना लिये दिये हो जायेगा जो तुम चाह रहे हो वो ही बस हो जायेगा वगैरा-वगैरा बताया। इसके बाद दिनांक 01.10.2021 को ही परिवादी द्वारा सेकेट्री से भी बात करने नरैना सैकेट्री श्री विश्वनाथ के पास ग्राम पंचायत कार्यालय में भैजा गया तो सेकेट्री श्री विश्वनाथ ग्राम पंचायत में नही मिला। इस पर परिवादी द्वारा सैकेट्री श्री विश्वनाथ के पंचायत समिति दूदू में होने पर मांग सत्यापन करवाया गया तो **परिवादी को पंचायत समिति में एईएन मिला, जिसने कहा कि गोरधन से मिलो गोरधन अपनी एमबी पर साईन करवा लाया व एमबी पर साईन कराने या तो तूम जाओ या गोरधन जायेगा। मैंने अपनी तरफ से एमबी कम्पलीट कर सैकेट्री को दे दी है। उसके बाद मैं सेकेट्री से मिला तो उसने कहा कि एमबी पर एक्सईएन के साईन कराने बाकी है और बताया कि एक्सईएन के साईन कराके एमबी गोरधन को ही दूंगा। उसके बाद मैं रवाना होकर विकास अधिकारी के पास गया तो मैंने कहा कि सैकेट्री विश्वनाथ एमबी देने से मना कर रहा है और वही पर मौजुद एईएन साहब ने कहा कि गोरधन तो अपनी एमबी कम्पलीट करा के ले आया और ये गरीब आदमी फंस गया और सेकेट्री को बुलाकर कहा तो इसकी एमबी आपको देदी और कहा कि परसो मुझे एमबी मिल गई और एमबी पर एक्सईएन के हस्ताक्षर कराने है ये मेरा काम है और एमबी मैं दूंगा, ठेकेदार को दूंगा इत्यादि बाते हुई''** उक्त वार्ताओ से रिश्वत मांग सत्यापन के आंशिक तथ्य प्रकट हुए। इस प्रकार जेईएन श्री नाहर सिंह, सेकेट्री श्री विश्वनाथ, एईएन के के गुप्ता का पुन: स्पष्ट रिश्वत मांग सत्यापन कराने का निर्णय लिया गया। दिनांक 20.10.2021 को परिवादी श्री हेमराज ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आकर समय 10.10 एएम पर मन् उपअधीक्षक पुलिस को बताया कि जेईएन श्री नाहर सिंह का फोन आया जिसको मैंने उठाया नही है। इस पर मन् उपअधीक्षक पुलिस ने श्री प्रदीप कुमार कानि0 नं0 245 से कार्यालय की आलमारी से वाईस रिकार्डर निकालवाकर वाईस रिकार्डर चालु करवाकर श्री हेमराज के मोबाईल नम्बर 9653838520 से संदिग्ध जेईएन श्री नाहर सिंह के मोबाईल नम्बर 8696466466 पर दो बार कॉल करवाया तो जेईएन श्री नाहर सिंह ने फोन नही उठाया। समय 10.55 एएम पर परिवादी श्री हेमराज के पास जेईएन श्री नाहर सिंह के मोबाईल नम्बर 8696466466 से फोन आया, कानि0 श्री प्रदीप कुमार द्वारा वाईस रिकार्डर चालु कर वार्ता को रिकार्ड किया गया। उक्त वार्ता में **जेईएन द्वारा अलवर होना बताया व परिवादी ने सेकेट्री द्वारा एमबी को गोरधन को देने व एक्सईएन के साईन कराने की एवज में 50,000/- रूपये मांगने की बात कहने पर जेईएन द्वारा रूपये ज्यादा होना व एक्सईएन द्वारा एक परसेंट से ज्यादा नही लेने बाबत कहा गया। गोरधन द्वारा एक्सईएन के पास एमबी ले जाने पर हस्ताक्षर करना बताया व एमबी पर पहले ही हस्ताक्षर करवाने के बारे में बोलकर दीवाली के पहले आने को कहा और साईन होने**

के बाद सेम डेट में ही पैमेंट होने के बारे में बताया तथा एमबी पर अपने व एईएन के हस्ताक्षर होने के बारे में बताया। इस प्रकार जेईएन नाहर सिंह द्वारा एक्सईएन द्वारा लिये जाने वाली रिश्वती राशि व फिक्स कमीशन के बारे में बताया गया। मन् उपअधीक्षक पुलिस को परिवादी ने बताया कि मै आज गोरधन प्रो0 मैसर्स कुमावत एण्ड कम्पनी से दूदू जाकर एमबी पर एक्सईएन के हस्ताक्षर करवाने के लिए 18000/- रूपये अग्रिम रिश्वती राशि के रूप में दूंगा। मन् उपअधीक्षक द्वारा कानि0 श्री प्रदीप कुमार को हिदायत की गई कि परिवादी श्री हेमराज जब गोरधन के पास रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के लिए जाए उससे पूर्व वाईस रिकार्डर चालु कर सुपुर्द करे व आंशिक रिश्वती राशि के नोटो के नम्बर अंकित करने की हिदायत देकर रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया तथा श्री गोरधन को दी जाने वाली आंशिक रिश्वती राशि 18,000/- रूपये के नम्बरो का विवरण कानि. श्री प्रदीप कुमार द्वारा एक सादा कागज पर अंकित किया तथा उक्त मांग सत्यापन वार्ता में **परिवादी द्वारा गोरधन को एक्सईएन के द्वारा एमबी पर हस्ताक्षर करने के 18000/- रूपये तक देने के लिए कहा तो उसने कहा कि मामला फिक्स है और कहा कि ये सिस्टम बना हुआ है। इसके बाद मैंने 18000/- रूपये गोरधन को देकर गिणवा दिए, परिवादी ने गोरधन को कहा कि आज ही साईन कराके ले आओ तो इस पर उसने अपनी सहमती दी।** इस प्रकार संदिग्ध ठेकेदार श्री गोरधन द्वारा एमबी पर एक्सईएन के हस्ताक्षर करवाने की एवज में उक्त वार्ता से 18000 रूपये रिश्वत के रूप में लेने के तथ्य स्पष्ट प्रकट हुये है। दिनांक 21.10.2021 को श्री प्रदीप कुमार कानि0 नं0 245 ने मन् उपअधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि परिवादी श्री हेमराज ने जरिये फोन अवगत कराया है कि दिनांक 20.10.2021 को ठेकेदार श्री गोरधन एमबी पर हस्ताक्षर कराने के लिए जयपुर गया था, जहां पर एक्सईएन साहब ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और नरेना में चल रहे एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेन्टर निर्माण कार्य की साईट को देखेगें और मौका देखने के बाद ही हस्ताक्षर करेगें, जो कल दिनांक 22.10.2021 को नरेना आने की संभावना है। दिनांक 22.10.2021 को मन् उपअधीक्षक पुलिस ब्यूरो कार्यालय पहुंचकर वाईस रिकार्डर मय श्री प्रदीप कुमार कानि0 व श्री सुभाषचन्द्र कानि0 मय सरकारी वाहन से रवाना होकर परिवादी श्री हेमराज गांव सावरदा के स्टेण्ड के पास अपने निजी वाहन के पास खड़ा मिला। परिवादी ने मन् उपअधीक्षक पुलिस को बताया कि मेरा श्री गोरधन से सम्पर्क हुआ है, जिसने बताया कि एक्सईएन साहब ने कहा है कि जब समय होगा तब नरेना साईट पर आउंगा और आज मैं जेईएन साहब से मिल कर आउंगा। समय 11.05 एएम पर परिवादी श्री हेमराज कुम्हार के मोबाईल नम्बर 9653838520 से स्पीकर ऑन कर जेईएन श्री नाहर सिंह के मोबाईल नम्बर 8696466466 पर वार्ता करवाई गई। उक्त वार्ता में **जेईएन श्री नाहर सिंह द्वारा दूदू में होना व एमबी पर साईनो के बारे में पूछना और एमबी को गोरधन के पास ही रहने के बारे में वार्ता की गई''।** समय 01.36 पीएम पर मन् उपअधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को मुनासिब हिदायत दी जाकर वाईस रिकार्डर चालु कर सुपुर्द किया व परिवादी के साथ श्री प्रदीप कुमार कानि0 नं0 245 को रवाना कर रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया तो उक्त वार्ता में परिवादी को **जेईएन नाहर सिंह ने गोरधन के लिए गाली गलौच करने हुए कहा कि गोरधन ने एक्सईएन से साईन क्यो नही करवाये, गोरधन को एक रूपया भी मत देना, और पूर्व में पांच लाख रूपये गोरधन को देना व तीन लाख रूपये और रोक लेने बाबत कहा। मेरे को एक रूपया फालतू नही चाहिऐ, टाईप के हजार रूपये के बारे में बोला, बिल पर तो अब कर देंगे साईन, सेकेट्री को कुछ मत देना, थोड़ा सा उस पर दबाए बना, बारह परसेन्ट के हिसाब से चार लाख रूपये देगा तो बाबाजी हो जायेगा, मत कर साढे चार लाख रूपये बचा ले, तु डरे मत थोड़ा सा होश में आके रह और मुझे मजबूत रहकर साढ़े चार लाख रूपये बचाने के लिए कहा। एईएन साहब ने एमबी पर साईन कर दिए। सेकेट्री किस बात के चार लाख रूपये, जब हम ही हाय तौबा नही कर रहे। गोरधन तैरा बहुत नुकसान कर देगा।** मन् उपअधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को

मुनासिब हिदायत कर रूखसत कर मय हमराहियान के ब्यूरो मुख्यालय के लिए रवाना होकर ब्यूरो मुख्यालय पहुंचकर सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित कार्यालय आलमारी में तालाबंद किया। दिनांक 27.10.2021 को मन् उपअधीक्षक पुलिस को कानि0 श्री प्रदीप कुमार ने अवगत कराया कि गोरधन ने कॉल कर कहा है कि कल दिनांक 28.10.2021 को सुबह आठ बजे मेरी स्कोर्पियो कार को साथ लेकर जयपुर एईएन के पास चलेगे, जहां पर एईएन को साथ लेकर एक्सईएन के पास चलेगें। उसके बाद नरेना साईट पर चैक कराकर वही पर ही आगे की वार्ता कर सकते है। दिनांक 28.10.2021 समय 06.15 पीएम पर मन् उपअधीक्षक पुलिस ने सुरक्षित कार्यालय की आलमारी से वाईस रिकार्डर निकालकर हमराह लेकर मय कानि0 श्री प्रदीप कुमार मय सरकारी वाहन मय चालक के ब्यूरो कार्यालय से दूदू की ओर रवाना होकर परिवादी से गांव सावराद में हाईवे पर मिले। परिवादी ने मन् उपअधीक्षक को बताया कि गोरधन अपनी सफेद रंग की स्कोर्पियो गाड़ी लेकर आयेगा और उसने मुझे समय 8 एएम पर सावराद बस स्टेण्ड बुलाया है। मै गोरधन के साथ कार में बैठकर जयपुर में मानसरोवर एईएन श्री के के गुप्ता के पास जायेगे और एईएन को लेने के बाद एक्सईएन श्री गोपाल मंगल को साथ में लेगें। फिर वहां से रवाना होकर एक्सन, साहब एईएन के साथ नरेना साईट पर आयेगें। इस पर मन् उपअधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को गोरधन के साथ जयपुर में पहुंचने के बाद मोका मिले कॉल कर लोकेशन बताये व नरेना पहुंचने के बाद लोकेशन से अवगत कराने की मुनासिब हिदायत दी गई। परिवादी को दूदू आने के पश्चात पंचायत समिति के पास निर्धारित स्थान पर मिलने के बारे में बताया। तत्पश्चात् परिवादी श्री हेमराज कुम्हार के मोबाईल नम्बर 9653838520 को स्पीकर ऑन कराकर संदिग्ध ठेकेदार श्री गोरधन के मोबाईल नम्बर 8209582121 पर दो बार कॉल करवाया गया तो श्री गोरधन ने फोन नही उठाया। तत्पश्चात् कुछ समय करीबन 8.05 पर परिवादी के पास गोरधन का फोन आया, जिसको ऑपन स्पीकर कर वार्ता करवाई गई। उक्त वार्ता में परिवादी द्वारा गिदयाणी कट के पास स्थित होटल बालवास के सामने मौजुद होना व गोरधन द्वारा रवाना होने के बारे में बताया गया। तत्पश्चात कानि0 श्री प्रदीप कुमार को मुनासिब हिदायत देकर परिवादी के साथ उसके प्राईवेट कार में होटल बालवास के लिए रवाना किया। समय 08.20 एएम इस समय मन् उपअधीक्षक पुलिस के समक्ष श्री प्रदीप कुमार कानि0 ने उपस्थित होकर अवगत कराया कि मैं परिवादी के साथ उसके प्राईवेट कार से होटल बालवास पहुंचे, जहां पर कार को होटल की पार्किंग में खड़ी की और समय करीबन 08.08 एएम पर परिवादी को वाईस रिकार्डर चालु कर उसको बालवास होटल के सामने रोड़ की तरफ रवाना किया। समय करीबन 8.15 एएम पर परिवादी के पास एक सफेद रंग की स्कोर्पियो कार आकर रूकी, जिसमें एक व्यक्ति ही बैठा था और कार में अन्य कोई व्यक्ति नही था। समय 09.52 एएम इस समय मन् उपअधीक्षक पुलिस को परिवादी श्री हेमराज कुम्हार ने जरिये फोन बताया कि रवाना होकर पहले एईएन साहब श्री के के गुप्ता को मानसरोवर जयपुर से साथ में लिया। अभी वर्तमान में हम रिद्धी सिद्धि चौराहे पर नाश्ता कर रहे है। एक्सईएन साहब ने आधे घंटे में लेने के लिए कहा है। 01.59 पीएम पर मन् उपअधीक्षक पुलिस के समक्ष परिवादी श्री हेमराज कुम्हार दूदू पंचायत समिति के पास स्थित पैट्रोल पम्प के पास आकर वाईस रिकार्डर पेश किया, उक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में परिवादी **गोरधन के साथ उसकी स्कोर्पियो कार आरजे 14 यूएफ 0881 में बैठकर जयपुर के लिए रवाना हुआ था। रास्ते में गोरधन ने जेईएन नाहर सिंह को एक रूपया भी नही देने के बारे, केवल एक्सईएन साहब को एमबी चेक करने की एवज में रूपये देना, नाहर सिंह द्वारा एमबी को एक्सईएन के हस्ताक्षरों के लिए रोके रखना एवं गोरधन व मेरे द्वारा किये जाने वाले कार्यो के बारे में विस्तृत वार्ता की थी। फिर हम मानसरोवर में मेट्रो स्टेशन के पास स्थित मकान पर पहुंचे, जहां से एईएन श्री के के गुप्ता को साथ लिया। मै उक्त कार की चालक सीट पर था। हम रवाना होकर एक्सईएन श्री गोपाल मंगल के महेश नगर स्थित मकान के बाहर पहुंचे, जहां पर श्री के के गुप्ता जी ने एक्सईएन साहब से जरिये फोन वार्ता की तो उन्होने**

आधे घंटे इंताजर करने के लिए कहा। इस पर हम रवाना होकर रिद्धि सिद्धी चौराहे पर पहुंचे, जहां पर थड़ी पर चाय पानी व नाश्ता किया। करीबन आधे घंटे बाद हम रवाना होकर एक्सईएन साहब के मकान के बाहर पहुंचे, जहां पर एईएन साहब ने एक्सईएन साहब को फोन कर बुलाया और एक्सईएन साहब मकान से बाहर आकर कार में बैठ गए। मैं कार चालक सीट, एक्सईएन साहब आगे की सीट पर, एईएन साहब व गोरधन पीछे की सीट पर बैठ गए। हम वहां से नरेना स्थित साईट के लिए रवाना हुए। रास्ते में एक्सईएन साहब ने एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेन्टर व डिजीटल लाईब्रेरी के निर्माण सम्बंधी व एमबी बुक भरने के सम्बंध में एवं नाहर सिंह के सम्बंध में वार्ताएं की थी। रास्ते में एक्सईएन साहब द्वारा सांभर एईएन नन्दा मैडम से बात कर नरैना साईट पर आने के लिए कहा। फिर हम चारो नरैना में चल रहे एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेन्टर व डिजीटल लाईब्रेरी की साईटो का एक्सईएन साहब द्वारा मैजरमेन्ट निकाला जाकर व निरीक्षण किया गया। सांभर एईएन नन्दा मैडम भी मौके पर मौजूद थी। फिर हम चारो दूदू पंचायत समिती के लिए रवाना हुये। रास्ते में मेरे द्वारा एक्सईएन साहब को सेकेट्री द्वारा मेरे रनिंग बिलों सैकण्ड का भुगतान नही करने बाबत कहा था तो एक्सईएन साहब ने एईएन साहब के मार्फत सेकेट्री से जरिये फोन बात की थी। सेकेट्री ने दो बिल्डिंगो की संभागीय आयुक्त के शिकायत चल रही होने बाबत बताया था। गोरधन द्वारा विश्वनाथ के बारे में एक्सईएन से कहा कि पुराना सेकेट्री है, होशियार है तथा मेरे द्वारा कुछ नही करने के बारे में बताया। आगे कहा कि मेरे को सेकेट्री ने कहा था कि भाईसाब आप जिम्मेदारी लो तो मैं कर दूंगा, कुल मिला के ये है, इस पर एक्सईएन साहब पर उक्त कहानी समझने के बारे में कहा। मेरे द्वारा बिच में बोलने पर एईएन साहब मेरे से गुस्सा हो गये और कहा कि हम तो गोरधन को जानते है, तेरे को नही जानते है। तथा समय 02.30 पीएम पर परिवादी ने मन् उपअधीक्षक पुलिस को बताया कि मै दुबारा गोरधन के पास जाउंगा। गोरधन मुझे बता रहा था कि एक्सईएन साहब को 30,000 रूपये देने है। एक्सईएन साहब अभी पंचायत समिति में ही बैठे है। इसलिए मैं गोरधन के पास जाकर वार्ता करूंगा। इस पर समय 2.35 पीएम पर मन् उपअधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को मुनासिब हिदायत कर वाईस रिकार्डर को पुन: चालु कर परिवादी को सुपुर्द कर पंचायत समिति के पास स्थित गोरधन ठेकेदार की दुकान पर रवाना किया। उक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में परिवादी ने बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर पंचायत समिती पहुंचा जहां पर रास्ते में मुझे जेईएन नाहर सिंह मिला जिससे एमबी के साईन के संबंध में वार्ता हुई। मैं पंचायत समिती के पास गोरधन के दुकान बने केबिन में पहुंचा जहां गोरधन ने मुझे सेकेट्री के द्वारा एक्सईएन को सभांगीय आयुक्त के हुई शिकायतों के बारे में कह कर सेकेट्री का हरामी होना बताया और कुछ समय पश्चात वहां पर एईएन गुप्ता आ गया जिस पर मुझे केबिन से बाहर निकाल दिया। गुप्ताजी के जाने के बाद में मेरे द्वारा गोरधन से गुप्ता के बारे में पूछने पर कहा कि गुप्ता पैसों के लिए आया था। गुप्ता को पहले तो एक्सईएन के लिए उनतीस हजार रूपये लेने के लिए कहा फिर अठारह हजार रूपये गुप्ताजी को देना बताया। मेरे द्वारा सेकेट्री व सरपंच का कमिशन दो-दो परसन्टेज होना बताने पर गोरधन द्वारा सेकेट्री विश्वनाथ व नाहर सिंह को आमने-सामने करा व पचास साल पहले भी दो तीन परशेन्ट लिया होना अस्वीकार करना व गोरधन द्वारा मेरे को सेकेट्री सरपंच द्वारा दो-दो परसेन्ट लेने वाली बात पर विश्वास नही होना कहकर अन्य से पूछने के बारे में कहा। मेरे द्वारा बताई गई बातों पर विश्वास नही करना व नाहर सिंह को एमबी भरने के पैसे लेना कहने की बाते हुई। फिर गोरधन द्वारा एक्सईएन साहब को कार में बैठाकर जयपुर के लिए ले गया। इसके बाद पंचायत समिती के अन्दर ही मुझे जेईएन नाहर सिंह मिला, जिसने पन्द्रह हजार रूपये टेस्टिंग व एक हजार रूपये बिल के कुल सोलह हजार रूपये करने को कहा है।

नाहर सिंह द्वारा सेकेट्री-सरपंच को दो-दो परसेन्ट कुल चार परसेन्ट देने के लिए कहा। मेरे से सेकेट्री व सरपंच द्वारा ज्यादा परसेन्ट लेने के बारे में बालेने पर नाहर सिंह ने कहा कि मैं तेरे से लूंगा फेर ज्यादा तथा पन्द्रह हजार रूपये की मांग की तथा कुल सोलह हजार रूपये दिवाली पर ही लेने की मांग की। मेरे द्वारा व्यवस्था करने की बात कही गई। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को मुनासिब हिदायत कर रूख्सत कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के ब्यूरो कार्यालय के लिए रवाना होकर ब्यूरो मुख्यालय पहुंचा, जहां पर वाईस रिकॉर्डर को सुरक्षित कार्यालय आलमारी में रखा गया। दिनांक 01.11.2021 को मन् उपअधीक्षक पुलिस को श्री प्रदीप कुमार कानि0 ने बताया कि परिवादी ने जरिये फोन अवगत कराया है कि कल दिनांक 02.11.2021 को मै गोरधन के साथ सेकेट्री व सरपंच से मिलने के लिए ग्राम पंचायत नरेना जाउंगा। दिनांक 02.11.2021 समय 08.10 एएम पर मन् उपअधीक्षक पुलिस ने वाईस रिकार्डर हमराह लेकर मय कानि0 श्री प्रदीप कुमार जरिये सरकारी वाहन के ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर परिवादी से दूदू से पूर्व गांव सावराद स्टेण्ड पर मिले, जहां पर परिवादी ने बताया कि गोरधन ने मुझे अभी तक कॉल नही किया है। समय 10.29 एएम पर परिवादी को मुनासिब हिदायत कर वाईस रिकार्डर चालु कर सुपुर्द कर श्री गोरधन के पास रवाना किया उक्त वार्ता में गोरधन ने परिवादी को **आज सरपंच के घर पर मिटींग होगी, सेकेट्री भी वहीं आ रहा है। गोरधन ने मुझे चलने के वक्त फोन करने के लिए कहा। वहीं पर समस्त बातें होगीं तथा ज्यादा बाते नही होना बताया।** समय 11.54 एएम पर मन् उपअधीक्षक पुलिस ने श्री प्रदीप कुमार कानि0 को वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर चालु कराकर परिवादी श्री हेमराज कुम्हार के मोबाईल नम्बर 9653838520 को स्पीकर ऑन कराकर संदिग्ध ठेकेदार श्री गोरधन के मोबाईल नम्बर 8209582121 पर कॉल करवाया गया। जिसमें मेरे द्वारा 12 बजने की कहने पर गोरधन द्वारा पूछकर बात करने की कहा। परिवादी हमराह है। समय 12.09 पीएम पर परिवादी के पास गोरधन का फोन गोरधन को फोन आया जिसमें उसने चलने के लिए कहा गया। इसके पश्चात समय 12.11 पीएम पर परिवादी को मुनासिब हिदायत देकर वॉइस रिकॉर्डर चालू कर निजी वाहन से गोरधन के पास रवाना किया गया। उक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में **परिवादी सेकेट्री विश्वनाथ, सरपंच पीर मोहम्मद व संदिग्ध ठेकेदार में मध्य वार्ता हुई, परिवादी द्वारा नरैना में बनाये जा रहे एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेन्टर के बिलो के बारे में वार्ता हुई तथा सेकेट्री ने पूर्व में भुगतान किये गये बिल के रूपये का परसन्टेज नही देने के बारे में विस्तृत वार्ता हुई। सरपंच व सेकेट्री द्वारा अपना-अपना पांच पांच परसेन्ट कमीशन होना व दो परसेन्ट ओडिट का होना बताया। उक्त परसन्टेज के रूपये नही देने पर सेकेट्री द्वारा बिलो के भुगतान नही कर मेरे काम का रूल्लाने के धमकी दी। मेरे द्वारा सरंपच साहब को रियासत देने की कहने पर उनके द्वारा इस कमिशन में कोई रियायत नही देना व भविष्य में इसकी पूर्ती कराने के बारे में कहा। और पूर्व के बिल के पैण्डिंग रूपये व वर्तमान बिल के रूपये पांच पांच प्रतिशत के हिसाब से कुल दस परसेन्ट के जोडने पर दो लाख पचेहतर हजार रूपये होना व गोरधन द्वारा सेकेट्री व सरपंच को ढाई लाख रूपये देने की कहने पर सरपंच व सेकेट्री द्वारा सहमती दी गई। सरपंच द्वारा दो लाख रूपये देना के लिए और एक लाख रूपये भविष्य में एडजेस्ट करने के लिए कहा तथा परसन्टेज कम नही करने के बारे में कहा। सेकेट्री द्वारा परसन्टेज कम-बेसी करने हेतु सरपंच को कहने पर सरपंच ने परसन्टेज कम नही करने की कहा और दस परसेन्ट पर सहमती दी गई। सेकेट्री द्वारा दो परसेन्ट कम होना, बारह से दस होना बाबत कहा गया। सेकेट्री द्वारा कहा गया कि दोनो के (सरपंच व स्वयं के) पांच पांच परसेन्ट कमिशन के लिए कहा गया।** परिवादी को मुनासिब हिदायत कर रूख्सत कर मन् उपअधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के ब्यूरो कार्यालय के लिए रवाना होकर ब्यूरो मुख्यालय पहुंचकर वाईस रिकॉर्डर को सुरक्षित कार्यालय आलमारी में रखा गया। दिनांक 05.01.2021 समय 10.20 एएम पर मन् उपअधीक्षक पुलिस को जरिये फोन परिवादी श्री हेमराज ने

बताया कि मैं कल उपखण्ड अधिकारी कार्यालय गया था, जहां पर मुझे सेकेट्री श्री विश्वनाथ मिला, जिसने मुझे नरैना में चल रहे काम को चालु करने के लिए कह रहा है। मैं आज सैकेट्री श्री विश्वनाथ से ग्राम नरैना में जाकर पैण्डिंग चल रहे बिलो के सम्बंधी वार्ता करने के लिए जाउंगा। इस पर कानि0 श्री प्रदीप कुमार को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखे वाईस रिकार्डर निकालकर सुपुर्द कर नरैना रवाना कर रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया। उक्त वार्ता में **सैकेट्री श्री विश्वनाथ अन्य आदमी से कह रहा था कि उसके खुब कर्जा है उसके दो चार लाख का कर्जा हो तो मैं अबार महना भर में ही बछीड़ उठा दू और कहा पच्चीस लाख की बेईमानी करने पर पुरो चोगटो जाण जाये। और पैमेंट के बारे में पूछने पर सैकेट्री ने कहा कि पैमेंट आने वाला ही है, खुब सीसी भेजेड़ी है इ सप्ताह म मारकन पीसी ही पीसी हो जायेला और मेरे द्वारा अटकाने की कहने पर उन्होने कहा कि नही अठकाउ पहले अटकाबो छो बातचीत हुआ बाद अटकाबो व सरपंच साहब न कह दिया बा होगी जो होगी।** दिनांक 13.01.2022 मन् उपअधीक्षक पुलिस को कानि0 श्री प्रदीप कुमार ने अवगत कराया कि फरियादी श्री हेमराज ने जरिये फोन बताया कि मेरा तेरह लाख रूपयों का बिल का पैमेन्ट में 10,60000 रूपये गोरधन ठेकेदार के अकाउन्ट में आ गये है। रूपये आने के बाद रिश्वत की राशी का लेन-देन हो सकता है। अत: आईन्दा परिवादी को कार्यालय में बुलाकर नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जायेगी। दिनांक 17.01.2022 को परिवादी श्री हेमराज ब्यूरो कार्यालय हाजा में उपस्थित आने पर वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई विभिन्न मांग सत्यापन वार्ताओं में बोलने वाले संदिग्धों की आवाज की पहचान परिवादी द्वारा ही की जानी है अत: नियमानुसार परिवादी के समक्ष वाईस रिकॉर्डर को लेपटॉप में लगाया जाकर वॉइस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में सेव की गई रिकॉर्डेड वार्ताओं को बारी-बारी सुना गया। जिसमें परिवादी ने उक्त वार्ताओं में संदिग्धों की आवाज की पहचान की गई। उक्त वार्ताओं के संबंध में परिवादी को अति गोपनियता रखने की हिदायत की गई। उक्त वार्ताए बहुत अधिक होने के कारण इसमें काफी समय लग रहा है। वॉईस रिकॉर्डर को पुन: सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखवाया गया। अत: आईन्दा नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जायेगी। दिनांक 19.01.2022 परिवादी श्री हेमराज ब्यूरो कार्यालय हाजा में उपस्थित आकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मेरा कल दिनांक 18.01.2022 को जरिये फोन जेईएन श्री नाहरसिंह से सम्पर्क हुआ, नाहरसिंह ने पैमेंट के सम्बंध वार्ता की तो मेरे द्वारा पैमेंट मिलने के बारे में बताने पर जेईएन श्री नाहरसिंह अपने कमीशन रूपये लेने के लिए उतावला हुआ, जिसको मैंने एक दो दिन में पैमेंट करने की कही है। अत: आज पुन: वॉइस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में सेव की गई रिकॉर्डेड वार्ताओं में सदिग्धों की आवाज की पहचानने करवाने कार्यवाही शुरू करने के लिए कार्यालय हाजा की अलमारी में सुरक्षित रखे वाईस रिकॉर्डर को निकाला जाकर उसको कार्यालय हाजा के लेपटॉप में लगाया गया। तदुपरान्त परिवादी के समक्ष वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई शेष बची संदिग्ध रिकॉर्डेड मांग सत्यापन वार्ताओ को बारी बारी चलाया गया। उक्त वार्ताओं में परिवादी द्वारा संदिग्धो की आवाज पहचान की गई। सभी रिकॉर्डेड वार्ताओं में संदिग्धो की आवाज की पहचान की जा चुकी है, अत: आईन्दा स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष नियमानुसार उक्त वार्ताओं का वार्तारूपान्तरण नियमानुसार तैयार किया जायेगा। चूंकि उपरोक्त फिगरा की कार्यवाही के दौरान परिवादी ने बताया कि कल दिनांक 20.01.2022 को संदिग्ध जेईएन नाहर सिंह परिवादी से रिश्वत के रूप में 20 हजार रूपये ले सकता है अत: दिनांक 20.01.2022 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है तथा ट्रेप के आयोजन करने के लिए दो निष्पक्ष गवाहान की आवश्यकता पड़ेगी। अत: श्री ब्रहमप्रकाश हैड कानि. 99 को भेजकर रणजीत सिंह चौहान जुनियर असिस्टेन्ट व श्री बहादुर सिंह जुनियर असिस्टेन्ट (आरएसआरडीसी) सेतु भवन, झालान डुंगरी जयपुर को तलब कर कल प्रस्तावित गोपनीय कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहन के रूप में उपस्थित होने हेतु कहा तो उन्होने अपनी सहमती दी जाने पर कल दिनांक को 8 बजे ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्ध कर कार्यालय से रूख्सत किया। समस्त कार्यालय स्टाफ

को भी सुबह 8-9 बजे कार्यालय हाजा में उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया। दिनांक 20.01.2022 को समस्त ब्यूरो कार्यालय स्टाफ, स्वतंत्र गवाहन व परिवादी आने पर समय 08.30 एएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहन को आज की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही से अवगत कराकर परिवादी हेमराज व स्वतंत्र गवाहन का आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी हेमराज द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढवाया जाकर दोनो स्वतंत्र गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 09.00 एएम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन उपअधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री हेमराज कुम्हार पुत्र को संदिग्ध आरोपी जेईएन नाहर सिंह को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने के लिए कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 40 नोट भारतीय मुद्रा के कुल राशि 20,000/-रूपये निकालकर, गवाहान के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये, उक्त नोटों का विवरण फर्द में अंकित किये गये। उपरोक्त सभी 500-500 रूपये के प्रचलित भारतीय मुद्रा के नोटों कुल राशि 20000/-रूपये पर फिनोफ्थीलन पाउडर लगवाने हेतु दोनो स्वतन्त्र गवाहन व परिवादी श्री हेमराज के समक्ष श्री ओमप्रकाश कानि. 438 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर चतुर्थ, जयपुर से कार्यालय हाजा की आलमारी में से फिनोफ्थीलन पाउडर की शीशी निकलवाकर एक अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाकर नियमानुसार उक्त सभी नोटों पर लगवाया गया तथा परिवादी श्री हेमराज की जामा तलाशी गवाह श्री रणजीत सिंह चौहान से लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल के सिवाय अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात फिनोफ्थलीन पाउडर लगे उक्त नोट सीधे ही श्री ओमप्रकाश कानि0 नं0 438 से परिवादी श्री हेमराज की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी साईड की जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये व संदिग्ध आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त नोट जेब से निकालकर उसे रिश्वत के रूप में देवें। परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत लेने के पश्चात् अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मन् उपअधीक्षक के मोबाईल नम्बर 9414217254 पर मिस कॉल कर मुझे व ट्रेप पार्टी को ईशारा करें एवं रिश्वत राशि को कहां रखता है यह भी ध्यान रखें। साथ ही स्वतन्त्र गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर रिश्वत के लेन-देन को देखने व दोनों के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके बाद स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री हेमराज को फिनोल्पथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से दृष्टान्त देकर विस्तृत रूप से समझाया गया। श्री ओमप्रकाश कानि. से गुलाबी घोल को बाहर फिकवाकर फिनोल्पथलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की अलमारी में रखवाकर श्री ओमप्रकाश कानि. के हाथों को तथा गिलास को साबुन व पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर गिलास को कार्यालय में ही छोड़ा गया। ट्रेप पार्टी के सदस्यों व गवाहान की एक दूसरे से तलाशी लिवाये जाने पर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु या दस्तावेज आदि नहीं छोडे गये। ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली कांच की शीशीयां, नये गिलास, चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाये जाकर सुखने के उपरान्त ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये तथा ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाये गये। संदिग्ध को दी जानी वाली रिश्वती राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाने वाले श्री ओमप्रकाश कानि. 438 को कार्यालय में छोडा गया। कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर खाली होना सुनिश्चत कर उसमें एक नया एसडी कार्ड SanDisk16GB डालकर परिवादी को उसे चालू व बन्द करने (ऑपरेट करने) की विधि परिवादी को पुन: समझाई गई व रिश्वत लेनदेन के वक्त आरोपी से आपस में होने वाली वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके पेश करने के निर्देश दिये गये। उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर श्री प्रदीप कानि. 245 को सुपूर्द कर मुनासिब हिदायत की गई उक्त समस्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी नोट व दृष्टान्त फिनोल्फ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सुपुदर्गी डिजीटल वाईस रिकार्डर हस्ब कायदा पृथक से तैयार की जाकर सम्बंधितो के हस्ताक्षर कराये गये। समय 09.45 एएम पर उप अधीक्षक पुलिस सुरेश कुमार स्वामी मय श्री हिमांशु अति. पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर

नगर तृतीय, जयपुर के निर्देशन में मय समस्त ट्रेप टीम व स्वतन्त्र गवाहन मय चालक मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक सामग्री के सरकारी व प्राईवेट वाहनों से वास्ते करने गोपनीय कार्यवाही ब्यूरो कार्यालय हाजा से अजमेर की ओर रवाना हुये। साथ ही श्री प्रदीप कुमार कानि. 245 व श्री सुभाष चन्द्र कानि. 592 को परिवादी के साथ उसके निजी वाहन से रवाना हुए।
मन् उप अधीक्षक पुलिस मय समस्त ट्रेप टीम दूदू से पूर्व सावरदा बस स्टेण्ड के पास रूके, जहां पर पूर्व से मौजुद प्रदीप कुमार कानि0, श्री सुभाष चन्द्र कानि0 व परिवादी श्री हेमराज के साथ मौजुद मिले। मन् टीएलओ के निर्देशानुसार पर श्री प्रदीप कुमार कानि. नं. 245 से वाईस रिकार्डर चालु कराकर परिवादी के मोबाईल नम्बर 9653838520 से ऑपन स्पीकर करा संदिग्ध जेईएन श्री नाहर सिंह के मोबाईल नम्बर 8696466466 पर वार्ता करवाई। **उक्त वार्ता में परिवादी द्वारा नही आने के बारे में कहा कि संदिग्ध जेईएन श्री नाहर सिंह द्वारा फोन नही करने और आज सीईओ साहब द्वारा वीसी लेने के बारे में कहा और सांभर होने के बारे में बताया तथा आज फ्री होने का कोई समय नही बताया गया।** समय 03.55 पीएम पर मन् टीएलओ मय समस्त ट्रेप टीम के सांभर पंचायत समिति पर पहुचंकर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। समय 04.15 पीएम परिवादी ने बताया कि मैं पंचायत समिति भवन में गया तो संदिग्ध श्री नाहर सिंह मौजुद नही मिला तो मैंने नाहरसिंह जी से जरिये फोन सम्पर्क करने का प्रयास किया तो उसने फोन नही उठाया, फिर मैं पंचायत समिति से बाहर आ गया। परिवादी ने बताया कि नाहरसिंह जी से मैं थोड़ी देर बाद पूनः फोन पर सम्पर्क करूंगा। मन् टीएलओ ने वाईस रिकार्डर अपने पास सुरक्षित रखा। इस पर मन् टीएलओ मय समस्त ट्रेप टीम सांभर में ही गोपनीय स्थान पर मुकीम हुए। समय 04.30 पीएम पर मन् टीएलओ के निर्देशानुसार पर श्री प्रदीप कुमार कानि. नं. 245 से वाईस रिकार्डर चालु कराकर परिवादी की जेईएन श्री नाहर सिंह के मोबाईल नम्बर 8696466466 पर वार्ता करवाई गई। उक्त वार्ता के अनुसार परिवादी द्वारा फ्री नही होने के बारे में कहने पर संदिग्ध जेईएन श्री नाहर सिंह द्वारा फ्री नही होने के बारे में कहा गया और कल मिलने की कहा गया। परिवादी द्वारा बिल्डिंग की ड्राईग के बारे में वार्ता की गई और संदिग्ध जेईएन द्वारा सांभर से बाहर होने के बारे में बताया गया। मन् टीएलओ मय स्वतंत्र गवाहन, समस्त ट्रेप टीम व परिवादी के साथ जरिये सरकारी वाहनो से बगरू की तरफ रवाना हुए। मन् टीएलओ मय समस्त ट्रेप टीम मय परिवादी के सावरदा बस स्टैण्ड जयपुर अजमेर रोड़ पर पहुंचकर संदिग्ध जेईएन सांभर से बाहर जाने के कारण उक्त ट्रेप का आयोजन कल दिनांक 21.01.2022 को किये जाने का निर्णय लिया गया। परिवादी को सुपुर्द रिश्वती राशि 20,000/-रूप्ये फर्द पेशकशी अनुसार स्वतंत्र गवाहन श्री रणजीत सिंह से निकलवाकर मनासिब हिदायत कर सुरक्षित उसके पास ही रखवाई गई। परिवादी श्री हेमराज को मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया। मन् टीएलओ हमराह समस्त ट्रेप, स्वतंत्र गवाहन के ब्यूरो कार्यालय के लिए रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय पहुंचे, हालात उच्चाधिकारियो को निवेदन किये। स्वतंत्र गवाह श्री रणजीत सिंह के पास रखी गई रिश्वती राशि 20,000/-रूप्ये सावधानीपूर्वक मन् टीएलओ की निगरानी में कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाई गई तथा वाईस रिकार्डर कार्यालय की आलमारी में तालाबंद किया गया। मन् टीएलओ द्वारा समस्त जाप्ता व स्वतंत्र गवाहन को दिनांक 21.01.2020 को सुबह 08.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत दी जाकर रूखसत किया गया।

दिनांक 21.01.2022 को समस्त कार्यालय स्टाफ व दोनो स्वतन्त्र गवाह उपस्थित आने पर समय 09.00 एएम पर मन् टीएलओ द्वारा फिनाफ्थलीन पाउडर लगी 20,000/-रूप्ये रिश्वती राशि को कार्यालय की आलमारी खुलावकर स्वतंत्र गवाह श्री रणजीत सिंह द्वारा निकलवाई जाकर उसी के पास सुरक्षित रखवाई गई व कार्यालय आलमारी से वाईस रिकार्डर हमराह लिया गया। समय 09.15 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस सुरेश कुमार स्वामी मय श्री हिमांशु अति. पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय, जयपुर के निर्देशन में मय समस्त ट्रेप टीम व स्वतन्त्र गवाह श्री रणजीत सिंह चौहान व श्री बहादुर सिंह मय चालक मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर

व आवश्यक सामग्री के सरकारी वाहनों से वास्ते करने गोपनीय कार्यवाही ब्यूरो कार्यालय से दूदू की ओर रवाना होकर फुलेरा से पूर्व ग्राम आकोदा में पहुंचे, जहां पर पूर्व से परिवादी श्री हेमराज अपने प्राईवेट वाहन के साथ मिला, जिसने मन् टीएलओ को बताया कि मै जेईएन नाहर सिंह जी से जरिये फोन सम्पर्क कर मिलने के स्थान के बारे में वार्ता करूंगा। इस पर समय करीबन 11.21 एएम पर मन् टीएलओ के निर्देशानुसार श्री प्रदीप कुमार कानि. नं. 245 से वाईस रिकार्डर चालु कराकर परिवादी के मोबाईल नम्बर 9653838520 से ऑपन स्पीकर करा संदिग्ध जेईएन श्री नाहर सिंह के मोबाईल नम्बर 8696466466 पर वार्ता करवाई गई। बाद वार्ता वाईस रिकार्डर को बंद किया गया। **उक्त वार्ता के अनुसार संदिग्ध जेईएन श्री नाहर सिंह ने सांभर होने की बोलकर सांभर पंचायत समिति में ही बुलाया है।** इस पर मन् टीएलओ के निर्देशानुसार स्वतंत्र गवाह श्री रणजीत सिंह द्वारा स्वयं के पास सुरक्षित रखी गई रिश्वती राशि 20,000/- रूपये को फर्द पेशकशी से मिलवाकर परिवादी श्री हेमराज की पहनी हुई पेन्ट की दांहिनी तरफ की जेब में रखवाई गई और परिवादी को उक्त रिश्वती राशि को संदिग्ध जेईएन श्री नाहर सिंह से लेन-देन के वक्त ही छुये उससे पूर्व अनावश्यक रिश्वती के हाथ नही लगाने की मुनासिब हिदायत दी जाकर कानि0 श्री प्रदीप कुमार को परिवादी के साथ सांभर के लिए रवाना किया गया। स्वतन्त्र गवाह श्री रणजीत सिंह के दोनो हाथो का साबुन लगाकर पानी से अच्छी तरह से धुलवाया गया। मन् टीएलओ मय समस्त ट्रेप टीम व स्वतंत्र गवाहन के पीछे पीछे रवाना हुआ। समय 11.50 एएम पर मन् टीएलओ मय समस्त ट्रेप टीम व स्वतंत्र गवाहन के सांभर से कुछ दूरी पूर्व फूलेरा रोड़ पर रूके, जहां पर परिवादी व कानि0 श्री प्रदीप कुमार मौजुद मिला। मन् टीएलओ ने परिवादी को मुनासिब हिदायत दी गई व कानि0 श्री प्रदीप कुमार को परिवादी रिश्वत लेन-देन हेतु जाने पूर्व वाईस रिकार्डर चालु कर सुपुर्द करने की मुनासिब हिदायत देकर परिवादी के साथ उसके वाहन में पंचायत समिति सांभर के लिए रवाना किया। मन् टीएलओ मय समस्त ट्रेप टीम व स्वतंत्र गवाहन के जाल बिछाने के लिए पंचायत समिति दूदू के लिए रवाना हुआ। समय 12.00 पीएम पर मन् टीएलओ मय समस्त ट्रेप टीम व स्वतंत्र गवाहन के पंचायत समिति के आस-पास पहुंच अपनी पहचान छुपाते हुए ट्रेप जाल बिछाया गया तथा श्री प्रदीप ने मन् टीएलओ को अवगत कराया कि समय 12.08 पीएम पर परिवादी को वाईस रिर्काडर चालु कर सुपुर्द कर पंचायत समिति दूदू के लिए रवाना कर दिया गया है। परिवादी पंचायत समिति सांभर के बाहर पहुंचकर कार को खड़ी कर पंचायत समिति भवन में प्रवेश किया, तत्पश्चात परिवादी एक संदिग्ध व्यक्ति के साथ पंचायत समिति भवन के बाहर आया। परिवादी श्री हेमराज बिना निर्धारित ईशारा किये उक्त संदिग्ध व्यक्ति के साथ उसकी मोटर साईकिल आरजे 47 एसडी 7979 पर बैठकर पंचायत समिति से सांभर बाजार की तरफ जाने वाले रास्ते पर चले गये। कुछ समय पश्चात् पुन: परिवादी श्री हेमराज उक्त व्यक्ति के साथ पंचायत समिति के बाहर परिवादी को उतारकर पंचायत समिति के अंदर मोटर साईकिल लेकर चला गया। परिवादी ने समय करीबन 12.33 पीएम पर मन टीएलओ को जरिये फोन अवगत कराया कि मै जिस व्यक्ति के साथ गया था वो ही नाहर सिंह जी है, मै उनके साथ उनके कमरे पर नक्शा व ड्राइंग लेने के लिए गया था। वे मुझे कोरसिना में नरेगा साईट दिखाने के लिए गाडी में लेके जायेगे। मै भी उनके साथ कार लेकर जाउंगा। तत्पश्चात नाहर सिंह पंचायत समिति भवन से बाहर आया और परिवादी की गाडी में ड्राईवर सीट पर परिवादी व ड्राईवर सीट के पास वाली सीट पर नाहर सिंह बैठकर नरैना रोड की तरफ रवाना हो गये। तत्पश्चात समय करीबन 01.18 पीएम पर परिवादी ने जरिये फोन अवगत कराया कि मै नाहर सिंह जी के साथ कोरसिना गांव में पहुंचे जहां पर नाहर सिंह जी ने नरेगा साईट को चैक किया उसके बाद वहां रवाना होकर पास ही एक ढाणी में नाहर सिंह जी के परिचित के महिला की मौत की बैठक में बैठने गये, जहां पर मै गाडी में ही बैठा हूं और नाहर सिंह जी बैठक में बैठे है तथा नाहर सिंह जी ने मेरे से सांभर में गाडी में बैठते वक्त ही पैसो की व्यवस्था के बारे में कहा था। अब हम यहां से रवाना होकर सीधे ही सांभर आयेंगे। रास्ते में रिश्वती राशि का लेन-देन हो सकता है। इस

पर परिवादी को मन टीएलओ ने मय टीम के कोरसिना तिराहा सांभर पर ही मौजूद होने के बारे में बताया व परिवादी को रिश्वती राशि लेन-देन होने पर निर्धारित ईशारा करने की मुनासिब हिदायत दी गई। समय करीबन 02.35 पी0एम0 पर कोरसिना की तरफ से आकर कोरसिना तिराहा सांभर पर परिवादी ने गाडी को रोककर निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन् टीएलओ व आस पास खड़े ब्यूरो स्टॉफ व स्वतंत्र गवाहान श्री रणजीत सिंह चौहान को साथ लेते हुए परिवादी की कार की तरफ रवाना हुए। परिवादी के कार के पास पहुंचने पर परिवादी द्वारा पेश विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी ने मन् टीएलओ को ड्राईवर सीट के पास वाली सीट पर बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि ये नाहर सिंह जी है, जिन्होंने मेरी एमबी भरने व बिल पास करवाने की एवज में 20 हजार रूपये ग्राम बरावता से आगे निकल कर कार में ही अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर पहनी हुई जैकेट की बांयी तरफ की अंदर वाली जैब में रख लिये है। जिस पर आरोपी के दोनो हाथों को सावधानीपूर्वक कलाई से उपर से हमराही जाप्ते के स्वतंत्र गवाह श्री रणजीत सिंह द्वारा दांये हाथ व प्रतीक कुमार कनिष्ठ सहायक से बांये हाथ पकड़ाये गये। चूंकि उक्त स्थान मेन रोड पर काफी आवागमन होने व खुली जगह होने के कारण यहां पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव नही है। अत: पास ही स्थित कार्यालय उप अधीक्षक पुलिस सांभर जयपुर ग्रामीण जयपुर में जाकर अग्रिम कार्यवाही किये जाने का निर्णय मन् टीएलओ द्वारा लिया गया तथा साथ ही अन्य जाप्ते को भी कार्यालय उप अधीक्षक पुलिस सांभर जयपुर ग्रामीण जयपुर में पहुंचने के निर्देश दिये। इस पर समय करीबन 2.50 पीएम पर मन टीएलओ मय स्वतंत्र गवाहान व श्री सुभाषचन्द्र कानि0 व श्री प्रतीक कुमार कनिष्ठ सहायक व डिटेनशुदा आरोपी श्री नाहर सिंह को हमराह लेकर कार्यालय उप अधीक्षक पुलिस सांभर जयपुर ग्रामीण जयपुर पर समय करीबन 03.00 पीएम पर आये व समस्त ट्रेप टीम भी पीछे पीछे आ गई। मन टीएलओ द्वारा श्रीमती लक्ष्मी सुथार, उप अधीक्षक पुलिस सांभर से कार्यालय में ट्रेप की अग्रिम कार्यवाही किये जाने की अनुमति प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही शुरू की गई। मन टीएलओ मय टीम व स्वतन्त्र गवाहान का परिचय देते हुये संदिग्ध का नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री नाहर सिंह पुत्र श्री रामासिंह, उम्र-56 साल, निवासी-गांव-उसैर, तह0-नदबई, जिला भरतपुर हाल निवासी- पीएचसी मुगसका के पास, महाराजा सूरजमल कॉलोनी अलवर हाल किरायेदार मकान पवन कुमावत, चौबदार मौहल्ला सांभर हाल कनिष्ठ तकनीकी सहायक, पंचायत समिति सांभर जयपुर मोबाईल नम्बर 8696466466 बताया। मन टीएलओ द्वारा तस्सलीपूर्वक रिश्वत के 20 हजार रूपयों के संबंध में पूछा तो उसने बताया कि उक्त रूपये मेरी पहनी हुई जैकेट की बांयी तरफ की अंदर वाली जैब में है, उक्त रूपये मैंने हेमराज से उसके द्वारा निर्माणाधीन एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर में उपयोग में लिये जा रहे मेटेरियल की क्वालिटी टेस्टिंग रिपोर्ट व बिल बनाने की एवज में लिये है। मैंने इससे किसी भी प्रकार की कोई रिश्वती राशि नहीं ली है। जिस पर परिवादी श्री हेमराज ने बताया कि नाहर सिंह जी ने मेरे पहले के प्रथम रनिंग बिल रूपये 18,80,082/-के भुगतान कराने की एवज में तीन प्रतिशत के हिसाब से 60 हजार रूपये रिश्वती राशि प्राप्त की थी व द्वितीय रनिंग बिल रूपये 10,60,000/- का दो प्रतिशत के हिसाब से 20 हजार रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त की है। नाहर सिंह जी झूठ बोल रहे है कि इन्होंने उक्त रूपये क्वालिटी टेस्टिंग रिपोर्ट एवज में लिये है क्योंकि क्वालिटी टेस्टिंग रिपोर्ट मैंने ठेकेदार श्री गोरधन के मार्फत निजी रूप से करवाई थी। इन्होंने मुझे कोई क्वालिटी टेस्टिंग रिपोर्ट के बिल नहीं दिये है। तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स से दो नये साफ कांच की गिलास निकलवाकर, जग में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशी निकालकर कांच के गिलासो में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार करवाया गया। तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग के रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् तैयार शुदा कांच के गिलास के घोल में श्री नाहर सिंह, कनिष्ठ तकनीकी सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया

जिसे समस्त हाजरिन व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सिल चिट मोहर मार्क R-1 R-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् इसी प्रक्रियानुसार दूसरे तैयार शुदा कांच के घोल में श्री नाहर सिंह, कनिष्ठ तकनीकी सहायक के बांये हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमेला हो गया। जिसे समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन के रंग को गदमेला होना स्वीकार किया। जिसे दो कांच की साफ शिशियो में आधा-आधा डालकर सिल चिट मोहर कर मार्क L-1, L-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री नाहर सिंह व परिवादी श्री हेमराज के बताये अनुसार स्वतंत्र गवाह श्री रणजीत सिंह से आरोपी श्री नाहर सिंह की पहनी हुई जैकेट की बांयी तरफ की अंदर वाली जैब की तलाशी लिवाई गई तो रिश्वती राशि 20 हजार रूपये मिले, जिनको स्वतंत्र गवाह श्री रणजीत सिंह से गिनवाया तो पांच पांच सौ रूपये के कुल 40 नोट कुल राशि 20 हजार रूपये मिले है जिन्हे पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत फिनोलफ्थलीन पाउडर में अंकित नम्बरो से मिलान करवाया गया तो हुबहु वही नम्बरी नोट होना पाए गए। तत्पश्चात् आरोपी श्री नाहर सिंह के की पहनी हुई जैकेट के बांयी तरफ की अंदर की जैब को उपरोक्तानुसार साफ कांच के गिलास में घोल तैयार कर डुबोकर धुलवाया गया तो पानी का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दो कांच की साफ शिशियो में आधा-आधा डालकर सिल चिट मोहर कर मार्क J-1, J-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा जैकेट को सुखाया गया, जो काले रंग की होने के कारण हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देने के कारण एक सफेद कागज की चिट बनाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त चिट को जेकेट की बांयी तरफ की अंदर की जेब में जिसमें से रिश्वती राशि बरामद हुई में डालकर एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर सील मोहर कर मार्क-J अंकित कर संबधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। बरामद शुदा उक्त सारी रिश्वती राशि 20 हजार रूपये के नम्बरी नोटो को एक साईड से सफेद कागज के साथ सिलकर सिल चिट मोहर कर मार्क "M" अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिए गए। आरोपी श्री नाहर सिंह को विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड आवाज का स्वयं की आवाज से एफएसएल जयपुर से मिलाने हेतु आवाज का नमूना देने के लिए नोटिस दिया गया, तो आरोपी द्वारा अपनी आवाज का नूमना देने से लिखित में इन्कार किया गया। आरोपी श्री नाहर सिंह के किराये के मकान में मिले संदिग्ध कागजातो को पृथ्क से जरिये फर्द जप्त किया गया। प्रकरण की घटना स्थल का नक्शा-मौका पृथक से मुर्तिब किया गया। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री नाहर सिंह पुत्र श्री रामासिंह, उम्र-56 साल, निवासी-गांव-उसैर, तह0-नदबई, जिला भरतपुर हाल निवासी- पीएचसी मुगसका के पास, महाराजा सूरजमल कॉलोनी अलवर हाल किरायेदार मकान पवन कुमावत, चौबदार मौहल्ला सांभर हाल कनिष्ठ तकनीकी सहायक, पंचायत समिति सांभर जयपुर द्वारा अन्य संदिग्धो के साथ मिलकर परिवादी से रनिंग बिलो को बनाने व एमबी सही समय पर भरने की एवज में आज दिनांक 21.01.2022 को परिवादी श्री हेमराज से 20 हजार रूपये रिश्वती राशि प्राप्त करना पाया गया है। आरोपी श्री नाहर सिंह का उक्त कृत्य धारा 7, 7A भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120बी भादसं के तहत अपराध प्रथम दृष्ट्या पाये जाने पर जरिये फर्द हस्ब कायदा गिरफतार किया गया। इसके बाद परिवादी द्वारा पेश किये गये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को हमराह लैपटाप से जोडकर सुना गया तो उसमें वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई, जिसकी फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पृथक से तैयार की जायेगी। चूंकि प्रकरण में अन्य संदिग्ध श्री विश्वनाथ पारीक ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत नरैना, श्री पीर मोहम्मद सरपंच, ग्राम पंचायत नरैना एवं श्री गोरधन कॉन्ट्रेक्टर के द्वारा परिवादी से पैण्डिंग बिलो का भुगतान करने की एवज में 2.75 लाख रूपये की मांग कर दो लाख पचास हजार रूपये पर तय कर सहमति देना रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओ से संदिग्ध भूमिका प्रकट होने पर ब्यूरो की अन्य टीमों द्वारा डिटेन करवाया जा रहा है।

चूंकि वर्तमान ट्रेप कार्यवाही स्थान व अन्य आरोपियो को डिटेन के स्थानों में काफी दूरी है। अत: अन्य संदिग्धों को ब्यूरो की अन्य टीमो द्वारा ब्यूरो मुख्यालय जयपुर ले जाया जाना है। अत: आगे की कार्यवाही ब्यूरो मुख्यालय जयपुर पर की जायेगी। समय 10.30 पीएम मन् उप अधीक्षक पुलिस सुरेश कुमार स्वामी मय हमराहीयान के ब्यूरो कार्यालय हाजा में आकर गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री नाहर सिंह को कार्यालय की हवालात में बन्द कर निगरानीकर्ता को हिदायत मुनासिब की गई।

समय 10.35 पीएम ब्यूरो कार्यालय हाजा में उपस्थित आने पर यहां पहले से मौजूद श्री भंवर सिंह पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर द्वितीय मय टीम, संदिग्ध श्री पीर मोहम्मद सरपंच ग्राम पंचायत नरायना के हाजिर मिले जिन्होने बताया कि निर्देशानुसार संदिग्ध श्री पीर मोहम्मद सरपंच ग्राम पंचायत नरायना को इनके घर बरबरा की ढाणी, भरतोलाव, ग्राम पंचायत नरायना से डिटेन कर हमराह लाये है। इसके अलावा श्री श्रवण कुमार पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर प्रथम, जयपुर मय टीम, संदिग्ध श्री विश्वनाथ सेकेट्री, ग्राम पंचायत नरायना के हाजिर मिले जिन्होने बताया कि निर्देशानुसार संदिग्ध श्री विश्वनाथ सेकेट्री, ग्राम पंचायत नरायना को पंचायत समिती दूदू से डिटेन कर हमराह लाये है। जिस पर दोनो संदिग्धों से बारी बारी, पृथक-पृथक परिवदी हेमराज के सामने पूछताछ शुरू की गई। मन् टीएलओं द्वारा दिनांक 22.01.2022 समय 12.15 एएम पर संदिग्ध श्री पीर मोहम्मद से पूछताछ शुरू की गई तो इसने अपना नाम पीर मोहम्मद पुत्र अलानूर खां उम्र 53 साल निवासी बरबरा की ढाणी, भरतोलाव, ग्राम पंचायत नरायना तह. फुलेरा जिला जयपुर हाल सरपंच ग्राम पंचायत नरायना तहसील फुलेरा जिला जयपुर बताया। तदुपरान्त श्री पीर मोहम्मद से परिवादी हेमराज से उसके कार्य के बिल पास करवाने के एवज में ढाई लाख रूपये कमिशन के रूप में मांगने के बारे में पूछा गया तो पीर मोहम्मद ने बताया कि मैने इससे कोई रिश्वत नही मांगी है तो परिवादी ने कहा कि दिनांक 02.11.2021 को पीर मोहम्मद के घर पर इसकी मौजूदगी में सेकेट्री विश्वनाथ, ठेकेदार गोरधन ने मेरे से ढाई लाख रूपयों की मांग की थी जिस पर संदिग्ध पीर मोहम्मद ने कोई जबाव नही दिया। इसके पश्चात संदिग्ध पीर मोहम्मद से दिनांक 02.11.2021 को उसके घर पर ठेकेदार गोरधन, सेकैट्री विश्वनाथ परिवादी हेमराज के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओं के बारे में पूछा जाता है तो उक्त वार्ताओं के संबंध में कोई जबाव नही दिया जाता है तथा कहा कि हेमराज के द्वारा कुल तीस लाख रूपयों का कार्य किया गया था, तो तीस लाख रूपयों के बिलों में पांच प्रतिशत कमिशन मेरा व पांच प्रतिशत कमिशन सेकेट्री साहब के होते है इस प्रकार कुल दस परसेन्ट कमिशन लेने की मांग की गई थी लेकिन हेमराज ने हमे आज तक एक रूपया भी नही दिया, जिस पर मन् टीएलओ द्वारा पीर मोहम्मद को कहा जाता है कि आप को कमिशन किस बात का दिया जाये तो सरपंच पीर मोहम्मद द्वारा कोई जबाव नही दिया जाता तथा अपनी नजरे झुका ली जाती है। तदुपरान्त समय 12.15 एएम पर उक्त संदिग्ध श्री पीर मोहम्मद सरपंच ग्राम पंचायत नरायना को दिनांक 02.11.2021 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड आवाज का स्वयं की आवाज से एफएसएल जयपुर से मिलाने हेतु आवाज का नमूना देने के लिए पृथक से नोटिस दिया गया, तो आरोपी द्वारा अपनी आवाज का नूमना देने से लिखित में इन्कार किया गया। इस प्रकार सरपंच पीर मोहम्मद द्वारा सेकेट्री विश्वनाथ व ठेकेदार गोरधन के साथ षड्यन्त्र पूर्वक मिलीभगत कर परिवादी हेमराज के द्वारा किये गये करीब 30 लाख रूपयों के कार्यो के बिलों के भुगतान की एवज में पांच प्रतिशत स्वयं के लिए व पांच प्रतिशत सेकेट्री के लिए कुल 10 प्रतिशत कमिशन की मांग की जाना तथा फिर गोरधन द्वारा षड्यन्त्र रचकर आपस में मिलीभगत कर कुल ढाई लाख रूपये हेमराज से रिश्वत के रूप में दिलवाना तय किया जाना पाया गया है। अत: संदिग्ध पीर मोहम्मद का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 7क भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व 120बी भा. द.सं. प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी पीर मोहम्मद पुत्र अलानूर खां उम्र 53 साल निवासी बरबरा की ढाणी, भरतोलाव, ग्राम पंचायत नरायना तह. फुलेरा जिला जयपुर हाल सरपंच

ग्राम पंचायत नरायना तहसील फुलेरा जिला जयपुर को हस्ब कायदा समय 1.00 एएम पर जरिये फर्द गिरफतार किया गया। तदुपरान्त समय 1.15 एएम पर मन् टीएलओं द्वारा संदिग्ध श्री विश्वनाथ से पूछताछ शुरू की गई तो उसने अपना नाम विश्वनाथ पुत्र सीताराम उम्र 51 साल निवासी म.नं. 209, मिश्र कॉलोनी, फुलेरा हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत नरायना तहसील फुलेरा, जयपुर बताया। संदिग्ध श्री विश्वनाथ से परिवादी हेमराज से उसके कार्य के बिल पास करवाने के एवज में 10 प्रतिशत के हिसाब से ढाई लाख रूपये कमिशन के रूप में मांगने के बारे में पूछा गया तो विश्वनाथ ने बताया कि मैने इससे कभी कोई रिश्वत नही मांगी है तो परिवादी ने कहा कि दिनांक 02.11.2021 को पीर मोहम्मद सरंपच नरायना के घर पर सरपंच साहब, ठेकेदार गोरधन तथा इनकी मौजूदगी में इन्होने मेरे से मेरे 30 लाख रूपये के निर्माण कार्य के बिल पास करवाने की एवज में स्वयं व सरपंच के लिए कुल ढाई लाख रूपयों की मांग की थी। जिस पर विश्वनाथ ने याद करते हुये बताया कि दिनांक 02.11.2021 को सरपंच पीर मोहम्मद के घर पर ठेकेदार गोरधन व सरपंच पीरमोहम्मद की मौजूदी में हेमराज ने अपने निर्माण कार्य के बिल पास करवाने के लिए कहा तो सरपंच ने व मैने ओलमा दिया था, हमारा लेन-देन का सिस्टम बना हुआ है। हमने हेमराज से उससे कार्यो के बिल पास करवाने की एवज में कमिशन मांगा जरूर था लेकिन हेमराज ने मुझे आज तक एक रूपया भी नही दिया। मेरे से गलती हो गई। तदुपरान्त समय 1.45 एएम पर उक्त संदिग्ध श्री विश्वनाथ ग्राम विकास अधिकारी को दिनांक 02.11.2021 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड आवाज का स्वयं की आवाज से एफएसएल जयपुर से मिलाने हेतु आवाज का नमूना देने के लिए पृथक से नोटिस दिया गया, तो आरोपी द्वारा अपनी आवाज का नूमना देने से लिखित में इन्कार किया गया। अत: सेकेट्री विश्वनाथ द्वारा परिवादी हेमराज से ग्राम पंचायत नरायना में उसके द्वारा निर्मित किये जा रहे एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेन्टर व डिजीटल सेन्टर के प्रथम रनिंग बिल भुगतान में कमीशन नही देने के कारण द्वितीय रंनिग बिल के रूपयें के भुगतान को सरपंच व निविदा ठेकेदार श्री गोरधन के साथ मिलीभगत कर अनावश्यक विलम्ब कर परिवादी पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाया जाकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 02.11.2021 के दौरान पूर्व के प्रथम रनिंग बिल के भुगतान का दस प्रतिशत कमिशन भी द्वितिय रंनिग बिल के भुगतान के साथ मांग कर पांच प्रतिशत स्वयं के लिए व पांच प्रतिशत सरपंच पीर मोहम्मद के लिए निविदा आवंटी ठेकेदार गोरधन से सीधे ही लेने की कहकर उक्त भुगतान राशि के दस प्रतिशत के हिसाब से 2,75,000 रूपये की मांग कर 2,50,000 रूपये रिश्वत मांग के रूप में तय करना पाया गया है। अत: संदिग्ध विश्वनाथ ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत नरायना का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 7क भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व 120बी भा.द.सं. प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी विश्वनाथ पुत्र सीताराम उम्र 51 साल निवासी म.नं. 209, मिश्र कॉलोनी, फुलेरा हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत नरायना तहसील फुलेरा, जयपुर को हस्ब कायदा समय 2.00 एएम पर जरिये फर्द गिरफतार किया गया। समय 12.40 पीएम श्री नरसीलाल मीणा पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी भीलवाड़ा-प्रथम मय जाप्ता द्वारा संदिग्ध श्री गोरधन लाल कुमावत को हमराह लाकर पेश किया व बताया कि निर्देशानुसार संदिग्ध गोरधन लाल को कल दिनांक 21.01.2022 को बादनवाड़ा से गोयला रोड़ पर गांव कल्याणपुरा स्थित इसके फार्म हाउस से डिटेन किया गया जो अग्रीम कार्यवाही हेतु आपके समक्ष पेश है। अत: संदिग्ध गोरधन लाल से प्रकरण के संबंध में अग्रीम कार्यवाही की जाती है। समय 12.45 पीएम संदिग्ध श्री गोरधन लाल कुमावत से परिवादी श्री हेमराज की उपस्थिति में पूछताछ शुरू की गई तो इसने अपना नाम गोरधन लाल कुमावत पुत्र श्री भंवर लाल कुमावत उम्र 57 साल निवासी महावीर कॉलोनी, नरायना रोड़, दूदू पुलिस थाना दूदू जिला जयपुर पेशा ठेकेदारी करना बातया। श्री गोरधन से परिवादी हेमराज द्वारा किये गये निर्माणाधीन कार्य के बिल पास करवाने की एवज में दिनांक 20.10.2021 को हेमराज से 18000 रूपये किस बात के लिए गये थे तो गोरधन ने साफ इन्कार करते हुये कहा कि मैने इससे कभी भी कोई रूपये नही लिये तथा मैं एक्सईएन को जानता भी

नही हूं। जिस पर उपस्थित परिवादी ने कहा कि इसने मेरे से दिनांक 20.1.2021 को एक्सईएन के द्वारा एमबी पर साईन करवाने की एवज में 18000 रूपये लिये थे तथा मेरे से कहा था कि सारा मामला फिक्स होता है तथाा सिस्टम बना हुआ है तथा रूपये देने के बाद मैने गोरधन को कहा था कि एमबी पर आज ही साईन करवा के ले आना तो इन्होने अपनी सहमती भी दी थी। ये सुनकर गोरधन चुप हो गया। इसके अलावा दिनांक 02.11.2021 को सरपंच पीर मोहम्मद के घर पर सरपंच पीर मोहम्मद व सेकेटरी विश्वनाथ को ढाई लाख रूपये दिलवाने के बारे में पूछा गया तो गोरधन ने बताया कि सरपंच पीर मोहम्मद ने कुछ दिन पहले मेरे को बताया था हेमराज ने गांव से मिटटी उठाई गई थी जिसकी शिकायत गांव वालों ने सरपंच से की थी उसके रूपयें के बारे में दिनांक 02.11.2021 को हमने बात की थी। इससे मैने कभी कोई रिश्वत नही मांगी है। जिस पर परिवादी ने कहा कि दिनांक 02.11.2021 को पीर मोहम्मद के घर पर इसकी मौजूदगी में सेकेट्री विश्वनाथ व सरपंच पीर मोहम्मद के लिए इसने मेरे से पांच पांच प्रतिशत के हिसाब से करीब ढाई लाख रूपये उक्त सरपंच व सेकेटरी को कमीशन के रूप में दिलवाने के लिए मध्यस्था के रूप में भूमिका निभाई थी तथा उक्त दोनो को रूपये देने के लिए मेरे उपर अनावश्यक दबाव बनाया था। मन् टीएलओ द्वारा गोरधन लाल को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के बारे में बताया गया तो गोरधन लाल ने अपनी नजरे झुका ली व कोई जबात नही दिया। समय 1.45 पीएम पर संदिग्ध श्री गोरधनलाल को दिनांक 20.10.2021, 02.11.2021 व अन्य दिनांको को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड आवाज का स्वयं की आवाज से एफएसएल जयपुर से मिलाने हेतु आवाज का नमूना देने के लिए पृथक से नोटिस दिया गया, तो आरोपी द्वारा अपनी आवाज का नूमना देने से लिखित में इन्कार किया गया। इस प्रकार आरोपी श्री गोरधन लाल कुमावत पुत्र श्री भंवर लाल कुमावत उम्र 57 साल निवासी महावीर कॉलोनी, नरायना रोड़, दूदू पुलिस थाना दूदू जिला जयपुर द्वारा परिवादी से उसके निर्माणाधीन कार्या के बिलों के भुगतान करवाने की एवज में परिवादी से दिनांक 20.10.2021 को एक्सईएन को देने के लिए 18000 रूपये लेने, दिनांक 02.11.2021 को सरपंच पीर मोहम्मद के घर पर परिवादी हेमराज, सेकेटरी विश्वनाथ व सरपंच पीर मोहम्मद की मौजूदगी में कमीशन के रूप में सरपंच पीर मोहम्मद व सेकेटरी विश्वनाथ को ढाई लाख रूपये दिलवाने के तथ्य प्रकट हुये है। अत: आरोपी को उक्त कृत्य धारा 7, 7क भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120बी भादस का घटित होना पाया जाने पर आरोपी को हस्ब कायदा जरिये फर्द नियमानुसार गिरफतार किया गया।

दिनांक 22.01.2022 समय 04.00 पीएम दर्ज रहे कि समय 11.00 एएम पर फर्द ट्रांसक्रिप्शन रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता प्रारम्भ किया गया। उक्त फर्द वार्तारूपान्तण स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री हेमराज के समक्ष रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 01.10.21 को वक्त करीब 08:50:20, दिनांक 01.10.21 को वक्त करीब 12:57:24, दिनांक 20.10.2021 को वक्त करीब 10.55.06, दिनांक 20.10.2021 को वक्त करीब 13:42:54, दिनांक 22.10.2021 को वक्त करीब 11:05:12, दिनांक 22.10.2021 को वक्त करीब 13:36:52, दिनांक 28.10.2021 को वक्त करीब 08:05:54, दिनांक 28.10.21 को वक्त करीब 08:08:18, दिनांक 28.10.21 को वक्त करीब 14:35:40, दिनांक 02.11.2021 को वक्त करीब 11:54:54, दिनांक 02.11.2021 को वक्त करीब 12:11:06 एवं दिनांक 05.01.2022 को वक्त करीब 16:04 पर हुई रिकार्ड वार्ता का डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी से निकालकर व पूर्व में परिवादी श्री हेमराज द्वारा उपरोक्त वार्ताओं को सुनकर आवाजों की पहचान कर तैयार किया गया शब्द ब शब्द वार्ता रूपान्तरण निकालकर स्वतंत्र गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर कार्यालय के कम्प्यूटर में लगाकर उपरोक्त रिकॉर्डेड वार्ताओं का मिलान पूर्व में तैयार वार्ता रूपान्तरण से करवाया गया तो सही होना पाया गया। उक्त वार्ता रूपान्तरण को फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन में अंकित किया गया। उक्त वार्ता रूपान्तरण तैयार करने के बाद विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को विभागीय कम्प्यूटर से जोडकर उक्त रिकार्ड वार्ता की

वॉईस क्लिपस को बारी-बारी तीन अलग-अलग डीवीडीयों मे राईट/बर्न किया गया। वॉईस क्लिपस डीवीडीयों में वार्ता रिकार्ड/सेव होना सुनिश्चित किया जाकर तीनो डीवीडीयों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा अलग-अलग डीवीडी मार्क A-1, A-2 एवं मार्क A-3 (आईओ कॉपी) क्रमश: अंकित किये गये। उक्त डीवीडी में से दो डीवीडी मार्क A-1 एवं मार्क A-2 को अलग-अलग प्लास्टिक डीवीडी कवर में रखकर अलग-अलग कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर की गयी। डीवीडी मार्क A-1, A-2 को सुरक्षार्थ पृथक से मालखाना में जमा करवाया जायेगा। डीवीडी मार्क A-3 (आईओ कॉपी) अनुसंधान के प्रयोजनार्थ खुली पत्रावली के संलग्न रखी गयी। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु उपयोग में लिए गये मैमोरी कार्ड SanDisk 16 GB को पृथक से प्लास्टिक थैली में डालकर माचिस की डिबी में रखकर कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर कपड़े की थैली पर मार्क क्रमश: MC अंकित किया गया। रिश्वत राशी लेन-देन की फर्द वार्ता रूपान्तरण आईन्दा तैयार कर शामिल पत्रावली की जायेगी।

अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री नाहर सिंह पुत्र श्री रामासिंह, उम्र-56 साल, निवासी-गांव-उसैर, तह0-नदबई, जिला भरतपुर हाल निवासी- पीएचसी मुगसका के पास, महाराजा सूरजमल कॉलोनी अलवर हाल किरायेदार मकान पवन कुमावत, चौबदार मौहल्ला सांभर हाल कनिष्ठ तकनीकी सहायक, पंचायत समिति सांभर जयपुर द्वारा परिवादी को अन्य आरोपी श्री विश्वनाथ पारीक, ग्राम विकास अधिकारी, श्री पीर मौहम्मद सरपंच ग्राम पंचायत नरायना व अन्य अधिकारी/कर्मचारी को बिल भूगतान करने की एवज में रिश्वती राशि देने के लिए उत्प्रेरित करना व स्वयं के लिए परिवादी से रनिंग बिलो को बनाने व एमबी सही समय पर भरने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान रिश्वती राशि की मांग कर दिनांक 21.01.2022 को परिवादी श्री हेमराज से 20,000/- रूपये रिश्वती राशि प्राप्त करना 2. श्री पीर मौहम्मद पुत्र स्व0 श्री अला नूर खाँ उम्र 53 साल निवासी बरबरा की ढाणी, भरतोलाव ग्राम पंचायत नरायना पुलिस थाना नरायना तहसील फुलेरा जिला जयपुर हाल सरपंच ग्राम पंचायत नरायना जिला जयपुर द्वारा सेकेट्री विश्वनाथ व ठेकेदार श्री गोरधन के साथ षडयन्त्र पूर्वक मिलीभगत कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 02.11.2021 में परिवादी हेमराज के द्वारा नरायना में निर्माणाधीन एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेन्टर व डिजीटल सेन्टर के करीब 30 लाख रूपयों के कार्यो के बिलों के भुगतान की एवज में पांच प्रतिशत स्वयं के लिए व पांच प्रतिशत सेकेट्री के लिए कुल 10 प्रतिशत राशि की मांग की जाना तथा फिर गोरधन द्वारा षड़यन्त्र रचकर आपस में मिलीभगत कर कुल ढाई लाख रूपये हेमराज से रिश्वत के रूप में दिलवाना तय किया जाकर आरोपी श्री पीर मौहम्मद सरपंच द्वारा पूर्ण सहमति दिया जाना 3.आरोपी श्री विश्वनाथ पारीक पुत्र श्री सीताराम पारीक उम्र 51 साल निवासी मकान नम्बर 209, मिश्र कालोनी, पुलिस थाना फुलेरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम नरायणा, पंचायत समिति सांभर जिला जयपुर द्वारा परिवादी श्री हेमराज से ग्राम पंचायत नरायना में उसके द्वारा निर्मित किये जा रहे एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेन्टर व डिजीटल सेन्टर के प्रथम रनिंग बिल भुगतान में कमीशन नही देने के कारण द्वितीय रंनिग बिल के रूपयें के भुगतान को सरपंच व निविदा ठेकेदार श्री गोरधन के साथ मिलीभगत कर अनावश्यक विलम्ब कर परिवादी पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाया जाकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 02.11.2021 के दौरान पूर्व के प्रथम रनिंग बिल के भुगतान का दस प्रतिशत कमिशन भी द्वितिय रंनिग बिल के भुगतान के साथ मांग कर पांच प्रतिशत स्वयं के लिए व पांच प्रतिशत सरपंच पीर मोहम्मद के लिए निविदा आवंटी ठेकेदार गोरधन से सीधे ही लेने की कहकर उक्त भुगतान राशि के दस प्रतिशत के हिसाब से 2,75,000 रूपये की मांग कर

2,50,000 रूपये रिश्वत मांग के रूप में तय करना 4. आरोपी श्री गोरधन लाल कुमावत पुत्र श्री भंवर लाल कुमावत उम्र 57 साल निवासी महावीर कॉलोनी, नरायना रोड़, दुदु पुलिस थाना दुदु जिला जयपुर कॉन्ट्रेक्टर को ग्राम पंचायत नरायना में एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेन्टर व डिजिटल ट्रेनिंग सेन्टर के निर्माण कार्य, जिसकी अनुमानित लागत 99 लाख का निविदा आवंटी होकर परिवादी श्री हेमराज को जरिये इकरारनामा से निर्माण कार्य परिवादी की फर्म सत साहेब कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को पॉच लाख रूप्ये कमीशन प्राप्त कर दिया था। इस प्रकार आरोपी श्री गोरधनलाल ठेकेदार ने उक्त निर्माणाधीन कार्या की एमबी पर एक्सईएन श्री गोपाल मंगल के हस्ताक्षर करवाने की एवज में परिवादी से दिनांक 20.10.2021 को एक्सईएन को देने के लिए 18000 रूपये लेना तथा दिनांक 02.11.2021 को सरपंच पीर मोहम्मद के घर पर परिवादी श्री हेमराज, श्री विश्वनाथ पारीक, ग्राम विकास अधिकारी व श्री पीर मोहम्मद, सरपंच ग्राम पंचायत की नरायना की मौजूदगी परिवादी को भूगतान हो चुके प्रथम रनिंग बिल का दस प्रतिशत व द्वितीय रनिंग बिल भूगतान करने की एवज में दस प्रतिशत कमीशन सरपंच श्री पीर मोहम्मद व सैकेट्री श्री विश्वनाथ के कुल दस प्रतिशत हिसाब से 2,75,000/-रूप्ये होने पर 2,50,000/-रूप्ये पर सहमत करवाना पाया गया। आरोपीगण श्री नाहर सिंह कनिष्ठ तकनीकी सहायक, पंचायत समिति सांभर जयपुर, श्री पीर मोहम्मद सरपंच ग्राम पंचायत नरायना, श्री विश्वनाथ पारीक, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत नरायना एवं श्री गोरधन लाल कुमावत कॉन्ट्रेक्र, मैसर्स कुमावत एण्ड कम्पनी दुदु व अन्य का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7, 7A भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120बी भादस का घटित होना पाया गया। प्रकरण में श्री शैतान खोजी, एक्सईएन श्री गोपाल मंगल के संबंध में संदिग्ध तथ्य प्रकट हुये है। अत: इनकी लिप्तता के संबंध में स्थिति अनुसंधान से स्पष्ट किया जाना उचित रहेगा।

अत: आरोपीगण 1. श्री नाहर सिंह पुत्र श्री रामासिंह, उम्र-56 साल, निवासी-गांव-उसैर, तह0-नदबई, जिला भरतपुर हाल निवासी- पीएचसी मुगसका के पास, महाराजा सूरजमल कॉलोनी अलवर हाल किरायेदार मकान पवन कुमावत, चौबदार मौहल्ला सांभर हाल कनिष्ठ तकनीकी सहायक, पंचायत समिति सांभर जयपुर 2. श्री पीर मौहम्मद पुत्र स्व0 श्री अला नूर खाँ उम्र 53 साल निवासी बरबरा की ढाणी, भरतोलाव ग्राम पंचायत नरायना पुलिस थाना नरायना तहसील फुलेरा जिला जयपुर हाल सरपंच ग्राम पंचायत नरायना जिला जयपुर 3. श्री विश्वनाथ पारीक पुत्र श्री सीताराम पारीक उम्र 51 साल निवासी मकान नम्बर 209, मिश्र कालोनी, पुलिस थाना फुलेरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम नरायणा, पंचायत समिति सांभर जिला जयपुर 4. श्री गोरधन लाल कुमावत पुत्र श्री भंवर लाल कुमावत उम्र 57 साल निवासी महावीर कॉलोनी, नरायना रोड़, दूदू पुलिस थाना दूदू जिला जयपुर व 5. अन्य के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

भवदीय,

(सुरेश कुमार स्वामी)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेश कुमार स्वामी, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भादंसं में अभियुक्तगण 1.श्री नाहर सिंह, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, पंचायत समिति सांभर, जिला जयपुर 2.श्री पीर मोहम्मद, सरपंच, ग्राम पंचायत नरायना, जिला जयपुर 3.श्री विश्वनाथ, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत नरायना, पंचायत समिति सांभर, जिला जयपुर 4.श्री गोरधन लाल कुमावत पुत्र श्री भंवर लाल कुमावत निवासी महावीर कॉलोनी नरायना रोड़, पुलिस थाना दूदू, जयपुर एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 18/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 147-53 दिनांक 22.1.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयपुर।
5. विकास अधिकारी पंचायत समिति शाहपुरा, जयपुर।
6. उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।